न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 26/2019 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2019/00049

अनवान

1. श्री लाला पिता शंभुलाल मीणा, निवासी थाणा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सराड़ा, प्र.स. 12/2019 दिनांक 13.11.2019

* निर्णय *

दिनांक— 16-12-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 13.11.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा के समक्ष पटवारी हल्का थाणा ने आराजी संख्या 1 रकबा 0.0010 हेक्टेयर किस्म मगरी पर नाजायज कब्जा कर अपीलान्ट द्वारा निर्माण कार्य करा दिये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट का मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया । अपीलान्ट इस भूमि पर अपने पिता के समय से काबिज है एवं राजस्व रेकर्ड मे किस्म गलत अंकित की गई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है एवं आवंटन की पात्रता रखता है। अधिनस्थ न्यायालय मे उक्त वाद दिनांक 05.11.2019 को संस्थित किया गया है एवं अपीलान्ट को जवाब, शहादत एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया व दिनांक 13.11.2019 को ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। उक्त निर्णय मेकेनिकल प्रोसेस की तरह निर्णय होकर उचित नही है। नोटिस मे वर्णित आराजी ग्राम थाणा की आबादी के पास लगती हुई भूमि है। ग्राम थाणा की उक्त आराजी के संबंध मे किस्म परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर रखा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 12:37:43 IST
Reason: SelfAttested

तलब की गई। तहसीलदार सराड़ा से मूल पत्रावली संख्या 12/2019 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं अपीलान्ट का उक्त आराजीयात पर अपने पिता के समय से पुराना कब्जा होना, उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन होना, अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जाना, ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजा जाना, अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि अपीलान्ट को बेदखल कर देने से उसके परिवार के भरण पोषण मे बाधा होगी। अधिनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नही दिये जाने से उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें।

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा थाणा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 1 रकबा 0.0010 हेक्टेयर, किस्म मगरी होकर राजस्व रेकर्ड मे चारागाह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया है, जो नियमानुसार हैं। राजकीय भूमि पर कब्जा करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नही है। उक्त भूमि को आबादी विस्तार अथवा किस्म परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर मौजुद नही है। अधिनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 08.11.2019 मे भी अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 को यथावत रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम थाणा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 1 रकबा 0.0010 हेक्टेयर, किस्म मगरी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा दुकान निर्मित कर अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने, विद्युत कनेक्शन होने, किस्म गलत अंकित होने, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव भेजने संबंधी कथन की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। अपीलान्ट का कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जबकि दिनांक 08.11.2019 को उपस्थिति स्वरूप अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजुद हो अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या नियमानुसार होना स्पष्ट होने से तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 12:37:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार सराड़ा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि यदि राजकीय भूमियो पर ओर भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 12:37:43 IST
Reason: SelfAttested